न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 198/2020 उनवान कैलाश चन्द बनाम लादी

कैलाश चन्द पुत्र रामरतन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.

–प्रार्थी

बनाम

लादी देवी पत्नि रामरतन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 16/5/2025

उपस्थितः– वकील श्री रामदेव गूर्जर (प्रार्थी)

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री रामदेव गूर्जर के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 15.5.2018 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 103/2018 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गूजर ने जाहिर किया कि ग्राम ढसूक तहसील अराई की कृषि आराजी खसरा संख्या 108/1219 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा किस्म गे0मु0पत्थर है । जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित हैतथा खसरा संख्या 109 रकबा 11 बीधा 13 बिस्वा, व खसरा नम्बर 109/1191 रकबा 2 बीधा 2 बिस्वा कुल रकबा 13 बीधा 15 बिस्वा में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित हैतथा खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बिस्वा किस्म गे0मु0 चाह खसरा 136 रकबा 5 बीधा 1 बिस्वा चाही व बजरं व डोल व बारानी है कुल खसरा 2 का कुल रकबा 5 बीधा 6 बिस्वा हैजिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का सयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा निहित है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 01 से 04 प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करता है तथा बेचान करने की धमकी देता रहता है, श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें, बिना विभाजन के उक्त भूमि का बेचान नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र को दिनांक 15.5.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 15.05.2018 को प्रकरण में एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। तलबी नोटिस जारी किये गये । दिनांक 9.2.2024 को अप्रार्थी संख्या 03,4,5,6 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई । दिनांक 12.4.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही की गई ।

दिनांक 24.05.2024 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

3. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । तथा उभय पक्षो को मूल वाद के अंतिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम ढसूक तहसील अराई की कृषि आराजी खसरा संख्या 108/1219 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा किस्म गे0मु0पत्थर, खसरा संख्या 109 रकबा 11 बीधा 13 बिस्वा, व खसरा नम्बर 109/1191 रकबा 2 बीधा 2 बिस्वा कुल रकबा 13 बीधा 15 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बिस्वा किस्म गे0मु0 चाह खसरा 136 रकबा 5 बीधा 1 बिस्वा चाही व बजरं व डोल व बारानी है कुल खसरा 2 का कुल रकबा 5 बीधा 6 बिस्वा भूमि में उभयपक्ष एक दूसरे के कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नही करे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)